अतिमहत्वपूर्ण / समयवद्ध

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail:noda lofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 2847 / FP/UK/ROAD/32572/2018 :देहरादून:दिनांकः 16 जून, 2021

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

विषयः– जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत लोल्टी कस्बीनगर मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्तावों पर लगायी गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 2480 / 12–1 दिनांक 29.05.2021 एवं पत्र दिनांक 2047 / 12–1 दिनांक 24.03.2021।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के क्रम में अवगत कराना है कि आपके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के **बिन्दु संख्या 1** में आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि मोटर मार्ग के प्रारम्भ में लगभग 01 कि0मी0 मार्ग का निर्माण कार्य ग्राम सभा कस्बीनगर के भूमिधरों की नाप भूमि में किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार के वन अधिनियम का उल्लघन नहीं किया गया है, उक्त के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर, उक्त स्थल का स्वंय स्थलीय निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या इस कार्यालय को प्रस्तुत करें। **बिन्दु संख्या 2** के क्रम में आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि वन संरक्षक के अनुसार उक्त मोटर मार्ग के समरेखण पर ग्रामवासियों की सहमति के आधार पर न्यूनतम वृक्षों को क्षति पहुंचाते हुए किया गया है। न्यूनतम वृक्षों हेतु इस समरेखण के अलावा अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है, उक्त प्रकरण 0.188 है0 क्षेत्र में 46 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें 29 वृक्ष बांज (ओक) प्रजाति के हैं, के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि आप उक्त स्थल का स्वंय स्थलीय निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या / प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

अतः भारत सरकार के ई0डी0एस0 दिनांक 31.12.2020 द्वारा चाही गयी तीन बिन्दुओं पर परिपूर्ण सूचना यथाशीघ्र इस कार्यालय को तीन प्रतियों में मूल प्रति सहित उपलब्ध करायें।

भवदीय,

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या / FP/UK/ROAD/32572/2018 / दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की भारत सरकार के ई0डी0एस0 दिनांक 31.12.2020 द्वारा चाही गयी तीन बिन्दुओं पर सूचना वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार का विलम्भ न किया जाये।

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून